कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा

क्रमांक :– स्था. / निविदा / 2025 / 76 दिनांक :– 3/5/2025

:: खुली निविदा सं. 02 / 2025–26 ::

अधीनस्थ कार्यालय फुलटाईम लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, भीलवाड़ा हेतु कार्मिकों की संविदा सेवा मुख्यालय हेतु दिनांक 31.03.2026 तक के लिए ली जानी है। कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विर्निदिष्ट पंजीकृत बोलीदाता / संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी.एस.टी., आयकर, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली प्रतियोगी बोली से निविदाये आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार हैः–

पदनाम एवं पदों की संख्या जिनके लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है –

1. कार्यालय सहायक – 02
2. रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर – 01
3. ऑफिस पिओन – 03

अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू)	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी–वणिज्यिक) खोलने की दिनांक व समय
9,00,000 / –	18000 / –	500 / –	19.05.2025 समय 01.00 PM	20.05.2025 09.00 AM	20.05.2025 11.00 AM

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://districts.ecourts.gov.in/bhilwara पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन शुल्क हेतु नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक 'सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' के नाम बनाना होगा तथा निविदा प्रतिभूति राशि हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराए गए निविदा शुल्क और निविदा प्रतिभूति राशि भी मान्य होंगे।
3. निविदायें, तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफो पर नामाकंन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वित्तीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेंगी।
4. तकनीकी–वाणिज्यिक / क्वालिफाईड बिड दिनांक 20.05.2025 को प्रातः 11.00 एएम बजे कार्यालय में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की वित्तीय बोली उसी दिन अथवा आगामी दिवस को खोली जायेगी।
5. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
6. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव
(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा

क्रमांक – 1900–1911 दिनांक – 3/5/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय/कार्यालय हाजा।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में भिजवाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का श्रम करावें।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति समस्त तालुका जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि अपने नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाए।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा शुल्क 500/- ड्राफ्ट नं.................................... दिनांक.................. बैंक.........................

2. प्रतिभूति राशि हेतु ड्राफ्ट नं..................................... दिनांक.................. बैंक.........................

यदि उक्त दोनों राशि ई-ग्रास चालान से जमा है तो विवरण –

क्र.सं.	विवरण	राशि	GRN No.	दिनांक
1	निविदा प्रपत्र फीस			
2	प्रतिभूति राशि			

3. निविदा फार्म विक्रय करने की अन्तिम तिथि दिनांक 19.05.2025 समयः– 01.00 PM

4. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 20.05.2025 समय :– 09:00 AM

5. निविदा खोलने की तिथि 20.05.2025 समय :– 11:00 AM

6. बोलीदाता/संवेदक का नाम ——————————————————

7. डाक का पता ————————————————————————

8.फोन/ मोबाईल नं.——————————————

9.ई-मेल ——————————————————————

10.बैंक का नाम ——————————————————————————

IFSC Code --

खाता संख्या————————————————————————

11.बोलीदाता/ संवेदक द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज प्रतिलिपी संलग्न है

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	**GST**				
5	आय कर [पैन नम्बर]				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र				
7	बैंक खाते का cancelled चैक				

12. बोलीदाता /संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष [2022–23, 2023–24 व 2024–25] में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपकम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/ बैंकों में न्यूनतम निविदा में उल्लेखित या समान योग्यता वाले पदों पर एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगा:–

क.सं.	विभाग /संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कार्मिक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				

नोट – समिति को यदि संतुष्टि हो तो अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

13.मैं/हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा

वित्तीय बोली/ प्राईस बिड

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगीः–

संवेदक का नाम एवं पता...

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको कों देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा। मय सं.				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)	कुल राशि रू.
		श्रमिकों की श्रेणी	मजदूरी की दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों का सं.	राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कार्यालय सहायक	उच्च कुशल		02					
2	रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल		01					
3	ऑफिस पिओन	अकुशल		03					

न्यूनतम मजदूरी की कोई भी नई दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.) राजस्थान सरकार के गजट में प्रकाशन होने पर ही प्रभावी मानी जायेगी। क्र.सं. 01 पर अंकित पद के लिए अधिकतम दर सभी कर सहित 19000/– रूपये, क्रम संख्या 2 के लिए 16,000/– एवं क्र.सं. 3 पर अंकित पद के लिए 11,000/– रूपये निर्धारित है। इससे अधिक भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। अतः दरें अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए भरें। निर्धारित दरें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार परिवर्तनीय होगी।

नोट :–

1. सर्विस चार्ज की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट अंकित करें एवं प्रतिशत में अंकित नहीं कर राशि अंकित करें ।
2. शून्य व दशमलव दरों पर विचार नहीं किया जावेगा, राशि पूर्ण रू में लिखें।
3. न्यूनतम समान दरें प्राप्त होने पर उपापन समिति द्वारा तय किये गये मापदण्ड द्वारा कार्यादेश निर्णय किया जावेगा जिस पर निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।
4. सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र भीलवाड़ा होगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

निविदा पत्र की मुख्य शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक /बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के सांथ अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनूसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक /बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/ बोलीदाता को राज्य /केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., .ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक /बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक /बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियामानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक /बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।
10. संवेदक /बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी किन्तु यह अधिकतम सीमा में ही सम्मिलित होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की ही होगी। संवेदक /बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक /बोलीदाता एवं कार्य पर लगये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की होगी। इसके लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक /बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक /बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
16. कार्मिकों की संख्या में कमी /वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
17. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदातादओं /संवेदकों सें, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
18. अनुबंधित बोलीदाता / संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कारने के लिए उनकी क़ीमत कोटकर्ता करता/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली /प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
21. **जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 05 दिवस में निर्देशानुसार कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।**
22. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली /क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
23. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
24. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)

सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूंति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्ते पूरी नही करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा 'के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः–

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

25. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

अ. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरन किया जा सकेगा

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. भुगतानः–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

28. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि सें अधिक – 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%

(घ)) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

29. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/सस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

30. आयकर एवं जीएसटी टीडीएस की कटौति नियमानुसार की जायेगी।

31. निविदा दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।

32. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
33. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
34. निविदा विभाग से प्राप्त आदेशानुसार अथवा अन्य किसी भी प्रशासनिक कारण से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। इसके लिए बोलीदाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

घोषणा पत्र

ई–बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्त में ई–बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण /प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा ''अधिनियम'' की धारा 46 एवं ''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा ई–बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर